# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 30 / 2021
प्रविष्टि दिनांक 17.03.2021

कमलेश पुत्र रामकरण जाति माली निवासी सोप तहसील उनियारा जिला टोक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोक —रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 19.02.2021 मिसल नम्बर 2837 / 2021**

उपस्थिति : (1) श्री बाबूलाल गुन्सारिया,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

**निर्णय** **दिनांक 11.07.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2006 रकबा 0.01 है0 किस्म बजंड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 100 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट व उसके पूर्वज विगत कई वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज है जिसके पुराना खसरा नम्बर 2007 है,उक्त भूमि आबादी भूमि के पास स्थित है। पटवारी हल्का द्वा[illegible] खसरा नम्बर 2006 की पेश की है,उक्त रिपोर्ट बिना सीमाज्ञान के पेश की गई है। [illegible] न्यायालय ने मिसल संख्या 1277 / 2020 निर्णय दिनांक [illegible]2020 मे फसल [illegible] कर निलाम करने के आदेश दिये गये है,जबकि मौके पर मकान बना हुआ है। अपीलांट एवं उसके परिवार के लिये अन्य कोई मकान का स्थान जीवन यापन करने के लिए,रहने के लिए नहीं है। अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

भूमिहीन व्यक्ति है। अपीलांट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिकमण का कोई साक्ष्य नही है,क्योकि इस भूमि पर वर्षो से मौके पर पक्का मकान बना हुआ है तथा इसके आस–पास पूरी आबादी है,कई लोगो के मकान है। पटवारी हल्का के बयान मे पूर्व मे बेदखली का निर्णय या बेदखली का प्रतिवेदन प्रदर्शित नही करवाया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2006 रकबा 0.01 है0 किस्म बजंड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिकमण कर मकान बनाने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर तीन माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है।अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिकमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयान से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिकमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2006 रकबा 0.01 है0 किस्म बजंड वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिकमण कर मकान बनाकर अतिकमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिकमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1277/2020 निर्णय दिनांक 28.10.2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिकमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 19.02.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर

टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:25 IST
Reason: SelfAttested